सं. ए. 12018/03/2014-एसटी.।
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
[प्रापण-। (ईपीडब्ल्यू) अनुभाग]

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 5th अप्रैल, 2024

विषय: मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद के लिए भर्ती नियमों (आरआर) में संशोधन के संबंध में सार्वजनिक नोटिस - टिप्पणियां आमंत्रित किए जाने के लिए

****

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी.14017/6/2009-स्था.(आरआर) दिनांक 30.04.2010 और दिनांक 23.12.2013 के अनुपालन में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के चिकित्सा भंडार संगठन के तहत सरकारी चिकित्सा भंडार डिपों में मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद के लिए प्रारूप अधिसूचना जिसमें भर्ती नियम आदि अन्तर्विष्ट हैं, संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने में रुचि रखने वाले हितधारक मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रारूप भर्ती नियमों को अपलोड करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नंबर 331-सी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली -110011 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या Lavkesh.sehgal79@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(लवकेश सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. :011-23061875

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख ,2024

अधिसूचना

सा. का. नि. . ... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और "सरकार" का अधिक्रमण करते हुए। मेडिकल स्टोर डिपो (श्रेणी III और IV पद) भर्ती नियम 1983" और संशोधन दिनांक 28.04.1994, जहां तक वे पदों (जैसे असेंबलर-कम-चेकर, चेकर, पैकर, दफ्तरी, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड सप्लायर) से संबंधित हैं , चौकीदार, मार्कमैन, मजदूर, चपरासी, सफाईवाला, फैक्टरी हैंड, हमालेज कुली, हमालेज मुकादम, माली, गेस्टनर ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी हैंड, बियरर, टी-मेकर, क्लीनर, गार्डनर, लॉरीमैन, माली, बॉयलर क्लीनर, सफाईवाला, आदि) जिन्हें बहकार्य कर्मचारी-वृंद के तौर पर पुनः पदनामित किया गया है , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, चिकित्सा स्टोर संगठन के अधीन सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो चिकित्सा में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - इस पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की ; है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान जो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि की अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

SCHEDULE

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन	सीधी भर्ती किऐ जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किऐ जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु -कार्य कर्मचारीवृंद	27 7 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग ' अराजपत्रित, अनुनसचिवीय।	7 वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000 -56900 रुपये)	लागू नहीं होता ।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु -सीमा शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखण्ड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रो के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है ।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष।

सीढ़ी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ।	समूह 'ग ' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कार्यालय प्रभारी, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो - अध्यक्ष; 2. डिपो मैनेजर या सहायक डिपो मैनेजर - सदस्य; 3. डिपो अधीक्षक - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फ़ा.सं.ए.12018/03/2014-स्था. (भाग-I]

(लवकेश सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार